न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रवि वर्मा , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
06/24	एफएसएस एक्ट, 2006	13/03/2024

1. वेदप्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0 एवं स्वा0 अधिकारी सवाई माधोपुर ।
–आवेदक

बनाम

1. पप्पूलाल सैनी पुत्र हरसहाय सैनी (मौके पर विक्रेता) मैसर्स श्री देव नारायण मिष्ठान भण्डार उघाडमल बालाजी गंगापुर सिटी निवासी पंचमुखी बालाजी मिर्जापुर गंगापुर सिटी।
2. भरतलाल गुर्जर पुत्र श्री केदार गुर्जर (फर्म मालिक) मैसर्स श्री देव नारायण मिष्ठान भण्डार उघाडमल बालाजी गंगापुर सिटी।
–अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय

दिनांकः– 21.08.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेदप्रकाश पूर्विया , खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 06/03/2024 को 12:00 पी.एम. पर मैसर्स श्री देव नारायण मिष्ठान भण्डार उघाडमल बालाजी गंगापुर सिटी पर पहुंचा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर उपस्थित विक्रेता से स्वयं का आधार कार्ड, खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र मांगा जिस पर उन्होने मौके पर नहीं होना बताया। आवेदक द्वारा मौके पर संस्थान का निरीक्षण करने पर आम जनता को **Kheermohan** में विक्रय हेतु रखे हुए थे **Kheermohan** में मिलावट का अंदेशा होने पर **Kheermohan** 2 किलोग्राम वजनी खरीदकर उसकी कीमत 400/– रू0 विक्रेता श्री पप्पूलाल गुर्जर को नगद अदाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करावे एवं तस्दीक कर स्वंय आंवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं0 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहां जिसे श्री पप्पू लाल ने भी पढकर ,समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने खरीदशुदा 02 किलोग्राम **Kheermohan** को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की बोतल दिखाकर उक्त खरदीशुदा **Kheermohan** को प्रत्येक बोतल में बराबर–बराबर डालकर 40–40 बूंदे फार्मेलीन डाली गई एवं बोतलों को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं कमांक एच–2653 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

पर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये तथा विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं0 एच 2653 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

आवेदक द्वारा कार्यालय में पहूँचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म सं0 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर फार्म सं0 6 की पुरत पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक/एमएसएसए/2023/687 दिनांक 26.04.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विषलेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/578/एक्ट/2023/640 दिनांक 10.03.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Kheermohan , Food Cantaining Extraneous Matter under Section 3(1)(i) Food Safety and Standard Act 2006 deu to presence of Starch** होना पाया गया है।

उक्त प्रकरण में अभियुक्त ने **Kheermohan , Food Cantaining Extraneous Matter under Section 3(1)(i) Food Safety and Standard Act 2006 deu to presence of Starch** का विक्रय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 **(ii)** का उल्लघंन किया है। जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 54 जुर्माने योग्य अपराध है, साथ ही आवेदक ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्त पर अधिकतम जुर्माना लगाया जावें ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलबध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण स्वयं उपस्थित । अभियुक्तगण ने अपना पक्ष रखने हेतु जबाब/बहस हेतु समय दिया गया, लेकिन अभियुक्त द्वारा जबाब एवं बहस में अपना कोई तथ्य नहीं रखने पर अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने दौराने बहस आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभियुक्त पर अधिक से अधिक जुर्माना लगाने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली मे संलग्न मुख्य खाद्य विषलेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/578/एक्ट/2023/640 दिनांक 10.03.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Kheermohan , Food Cantaining Extraneous Matter under Section**

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

3(1)(i) Food Safety and Standard Act 2006 deu to presence of Starch का विक्रय व निर्माण करने का दोषी पाया गया है। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अतः आवेदक द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 54 के तहत की गई अनियमितता के लिये अभियुक्तगण को संयुक्त रूप से 80,000 (अस्सी हजार) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी, आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक...21.08.2024 . को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी